43/2014
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉं, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 43/14

दलीपसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी 78 एलएनपी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत रतनपुरा तह0पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश कमांक 78 दिनांक 05-08-2014

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश — दिनांकः 08-04-17

हस्तगत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगराधीन आदेश में भूखण्ड सं0 24 साईज 20 गुणा 100 फुट व भूखण्ड सं0 डी साईज 40 गुणा 100 फुट जो ग्राम पंचायत, रतनपुरा द्वारा दिनांक 6-10-2008 को आवासीय पट्टा जारी किया गया था, जिसे आदिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश बिना क्षेत्राधिकार के, कानून के आज्ञाप्क प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश के द्वारा भूखण्ड के, फिरनी के, गवाड़ के, गलियों में, चबुतरों में, शौचालय के किस भाग पर कितना अतिकमण किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश एक सार्वजनिक नोटिस अंतिम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5-8-14 के आधार पर जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से प्रकिया संहिता के आदेशों की पालना में कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता के विधिवत् भूखण्ड को किसी प्रकार से अतिकमण नहीं माना जा सकता है। ग्राम पंचायत, केवल आबादी भूमि या उसके किसी भाग पर जो कि ग्राम पंचायत की सम्पति हो, पर ही अतिकमण होने की स्थिति में आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगराधीन आदेश में भूखण्ड सं0 24 साईज 20 गुणा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

43
2014 – अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A6
2

100 फुट व भूखण्ड सं0 डी साईज 40 गुणा 100 फुट जो ग्राम पंचायत, रतनपुरा द्वारा दिनांक 6–10–2008 को आवासीय पट्टा जारी किया गया था, जिसे आदिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश बिना क्षेत्राधिकार के, कानून के आज्ञाप्क प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश के द्वारा भूखण्ड के, फिरनी के, गवाड़ के, गलियों में, चबुतरों में, शौचालय के किस भाग पर कितना अतिक्रमण किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश एक सार्वजनिक नोटिस अंतिम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–8–14 के आधार पर जारी किया गया है, निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से प्रकिया संहिता के आदेशों की पालना में कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता के विधिवत् भूखण्ड को किसी प्रकार से अतिकमण नहीं माना जा सकता है। ग्राम पंचायत, केवल आबादी भूमि या उसके किसी भाग पर जो कि ग्राम पंचायत की सम्पति हो, पर ही अतिक्रमण होने की स्थिति में आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड के अतिरिक्त अतिकमण किया गया है, जिसे मुक्त कराया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को विधिवत् रूप से नोटिस जारी किया गया है। निगरानीकृत नोटिस विधिसम्मत् है। निगरानी सारहीन पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत को अतिकमण हटाये जाने के आदेश दिये जाने चाहिये।

जवाब में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 165 की पालना नहीं की गई है। नियम 165 की पालना कराये जाने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 के अनुसार : –

"165. Survey of trespassers on Panchayat lands and removal of encroachments :–

(1) Panchayat shall form a committee consisting of three Panchas assisted by Secretary to conduct survey trespassers in Abadi land, tank bed and grazing grounds in the months of January and July every year to detect cases of trespass on common lands.

(2) All such trespasses along with details of area and nature of trespass shall be entered in a register by the Secretary

(3) Panchayat shall issue notices to such trespassers in Abadi area for eviction of land trespassed . whenever it is brought to the notice of Panchayat on its member or secretary that

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

43
2015 — अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A6
3

trespass in being committed. Sarpanch may issue an injuction order prohibiting trespasser to commit trespass or carry out consturction failing which encroachment or construction will be removed at his risk and cost a date of hearing will be fixed when Panchayat may pass suitable order after giving the trespasser a reasonable opportunity of being heard "

ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय को रिपोर्ट कमांक 145 दिनांक 15–9–14 उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा निम्न अतिकमण किया जाना वर्णित किया गया है:–

शौचालय नग –2 व मकान की दिवार 5 गुणा 5, 4 गुणा 8 सिक्यूअर फीट, 15 गुणा 50 सिक्यूअर फीट, अहाता सं0 डी.

निगरानीकृत अंतिम नोटिस दिनांक 5–8–14 में ग्राम पंचायत द्वारा अतिकमण की जगह को दिनांक 11–8–14 तक हटाये जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन निगरानीकृत नोटिस में निगरानीकर्ता द्वारा किस भाग पर कितना अतिकमण किया गया है, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

आबादी भूमि में अतिकमण हटाये जाने के लिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 की पालना कराया जाना आज्ञाप्क प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं किये जाने के कारण निगरानीकृत नोटिस जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत को नियम 165 की पालना की जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत नोटिस दिनांक 5–8–14 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत, रतनपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 की पालना में निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, आवादी भूमि पर हुए अतिकमण को नियम 165 की पालना कर, अवैध अतिकमण को हटाने की कार्यवाही की जावे। निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28–4–17 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 8–4–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/17
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner